रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

SECRETARIAT LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

सं. 703] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 22, 1999/अग्रहायण 1, 1921

No. 703] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 22, 1999/AGRAHAYANA 1, 1921

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1999

का. आ. 1160(अ).—प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) में यह अपेक्षा की जाती है कि पदेन बोर्ड सदस्यों, नाम निर्दिष्ट बोर्ड सदस्यों और निर्वाचित बोर्ड सदस्यों को छोड़कर अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा उस उपधारा में विनिर्दिष्ट सदस्यों से मिलकर बनी समिति की सिफारिशों पर की जाएगी ;

और राष्ट्रपति ने उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके पद ग्रहण करने की तारीख से छह वर्ष की अवधि के लिए प्रसार भारती बोर्ड में नियुक्त किया था; अर्थात् :—

1.	श्री निखिल चक्रवर्ती	अध्यक्ष
2.	श्री एस. एस. गिल	कार्यपालक बोर्ड सदस्य
3.	श्री बी. जी. बर्गीस	अंशकालिक बोर्ड सदस्य
4.	डा. आबिद हुसैन	अंशकालिक बोर्ड सदस्य
5.	प्रो. यू. आर. राव	अंशकालिक बोर्ड सदस्य
6.	श्री ए. पद्मनाभन	अंशकालिक बोर्ड सदस्य
7.	श्री राजेन्द्र यादव	अंशकालिक बोर्ड सदस्य
8.	प्रो. रोमिला थापर	अंशकालिक बोर्ड सदस्य

और श्री ए. पद्मनाभन ने 15-5-98 को अपने अंशकालिक बोर्ड सदस्य के पद से त्यागपत्र दे दिया है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (5) में यह उपबंध है कि भारत के राष्ट्रपति, निगम की स्थापना के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, आदेश द्वारा, उस समय नियुक्त अंशकालिक बोर्ड सदस्यों में से कुछ बोर्ड सदस्यों की पदावधि को कम करने के लिए, जिससे कि ऐसे अंशकालिक बोर्ड सदस्यों के रूप में पद धारण करने वाले एक तिहाई बोर्ड सदस्य उसके पश्चात् प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाएं, ऐसा उपबंध कर सकेगा, जो वह ठीक समझे;

और राष्ट्रपति ने, अधिसूचना सं. का. आ. 210(अ), तारीख 1 अप्रैल, 1999 द्वारा प्रसार भारती (अंशकालिक सदस्यों की पदावधि कम करना) आदेश, 1999 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) किया है;

और राष्ट्रपति की राय है कि उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (5) के अधीन बोर्ड सदस्यों की पदावधि का कम किया जाना, सदस्यों के अनुभव, उनकी विशेषज्ञता और पृष्ठभूमि के आधार पर तथा बोर्ड के प्रभावकारी और सुव्यवस्थित कार्यकरण में उनके योगदान के आधार पर होना चाहिए;

अत: अब राष्ट्रपति उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (5) के साथ पठित उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त आदेश को अधिक्रान्त करते हुए निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् :

(क) सदस्यों के अनुभव और उनकी विशेषज्ञता और पृष्ठभूमि;

(ख) बोर्ड के प्रभावकारी और सुव्यवस्थित कार्यकरण में उनका योगदान;

(ग) अंशकालिक बोर्ड सदस्यों की अन्यो-न्याश्रयी अपरिहार्यता और कुछ और समवावधि के लिए उन्हें रोक कर उनकी सेवाओं का फायदा लेने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए; और

(घ) अन्य सभी सुसंगत परिस्थितियां।

उपरोक्त अंशकालिक बोर्ड सदस्यों की पदावधि को कम करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, जो उस समय ऐसे क्रम में नियुक्त किए गए थे कि अंशकालिक बोर्ड सदस्यों के रूप में पद धारण करने वाले सदस्यों के एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में निवृत्त हो जाएंगे और तत्पश्चात् नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में निवृत्त होंगे:

क्रम सं.	अंशकालिक बोर्ड सदस्यों के नाम	वह तारीख जिसको स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अंशकालिक बोर्ड सदस्य निवृत्त होंगे
1	2	3
1.	श्री बी. जी. वर्गीस	22-11-2003
2.	प्रो. यू. आर. राव	22-11-2001
3.	डा. आबिद हुसैन	22-11-2001
4.	प्रो. रोमिला थापर	22-11-1999
5.	श्री राजेन्द्र यादव	22-11-1999

[फा. सं. 15/1/91-पी.बी.सी.(जिल्द-XI) भाग-II]

आर. सी. मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

ORDER

New Delhi, the 22nd November, 1999

S.O. 1160(E).—Whereas sub-section (1) of section 4 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990) (hereinafter referred to as the said Act) requires that the Chairman and the other Members, except the ex-officio Members, the Nominated Members and the elected Members shall be appointed by the President of India on the recommendation of a committee consisting of the Members specified in that sub-section;

And whereas the President, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (4) of section 4 of the said Act and on the recommendation of the committee, appinted the following persons on the Prasar Bharati Board for a period of six years with effect from the dates they assume charge, namely:—

1 Shri Nikhil Chakravarty .... —Chairman

2. Shri S.S. Gill .... —Executive Member

3. Shri B.G. Verghese .... —Part-time Member

4. Dr. Abid Hussain .... —Part-time Member

5 Prof. U.R. Rao .... —Part-time Member

6. Shri A. Padmanabhan .... —Part-time Member

7. Shri Rajendra Yadav .... —Part-time Member

8. Prof. Romila Thapar .... —Part-time Member ;

And whereas Shri A. Padmanabhan has resigned from the office of Part-time Member on 15-05-98;

And whereas sub-section (5) of section 6 of the said Act provides that as soon as may be after the establishment of the Corporation, the President of India may, by order, make such provisions as he thinks fit for curtailing the term of office of some of the Part-time Members then appointed in order that one-third of the Members holding office as such Part-time Members shall retire every second year thereafter;

And whereas the President, by notification No. S.O. 210(E), dated the 1st April, 1999, made the Prasar Bharati (Curtailment of Term of Office of Part-time Members) Order, 1999 (hereinafter referred to as the said Order);

And whereas the President is of the opinion that curtailment of the term of office of Part-time Members under sub-section (5) of section 6 of the said Act should be based on experience, expertise and background of the members and the contribution to the effective and harmonious working of the Board;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3), read with sub-section (5) of section 6 of the said Act and in supersession of the said Order, the President, after taking into consideration,—

(a) the experience, expertise and background of the Members;

(b) their contribution to the effective and harmonious working of the Board,

(c) relative indispensability of Part-time Members at the present stage and the necessity of taking the benefit of their services by their retention for a further period of time; and

(d) all other relevant circumstances,

hereby makes the following order for curtailing the term of office of the above Part-time Members then appointed in order that one-third of the Members holding office as such Part-time Members shall retire in every second year thereafter in the manner specified in the Table below :—

Sl. No.	Name of the Part-time Members	Dates on which the Part-time Members specified in column shall retire
(1)	(2)	(3)
1.	Shri B. G. Verghese	22-11-2003
2.	Prof. U. R. Rao	22-11-2001
3.	Dr. Abid Hussain	22-11-2001
4.	Prof. Romila Thapar	22-11-1999
5	Shri Rajendra Yadav	22-11-1999

[F.N. 15/1/91-PBC-(Vol. XI) (Pt. II)]

R.C. MISHRA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.